

वन विभाग, हरियाणा सरकार,
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-10244/3068

सेवा में

दिनांक: 25/1/2023

मुख्य वन संरक्षक,
पश्चिमी परिमण्डल,
हिसार।

विषय: Diversion of 0.0019 ha. of forest land construction of open drain in addition to 0.081 ha. forest land already diverted for access to Retail Outlet (Petrol Pump) Khasra No.161//13 at village Lohani on Bhiwani-Loharu road (NH-709-B) Km. 136.702, R/side under forest division and District Bhiwani, Haryana.
Online Proposal No. FP/HR/Others /150474/2021

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको लिखा जाता है कि प्रार्थी द्वारा भेजे गए पत्र दिनांक 15.12.2022 की जांच अपने स्तर करके निरीक्षण रिपोर्ट इस कार्यालय को भेजें ताकि प्रस्ताव में आगामी कार्रवाई की जा सकें।

संलग्न उपरोक्त

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0)
हरियाणा, पंचकुला

[Handwritten Signature]
25/1/2023
10/25/1/2023

सेवा में -

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (एफ0 सी0 ए0)
हरियाणा, पंचकुला ।
2. IRO. MoEF&CC (Technical Officer Forestry Grade I)
Chandigarh ।

विषय - Diversion of 0.0019 ha. of forest land for construction of open drain in addition to 0.081 ha. forest land already diverted for access to Retail Outlet (Petrol Pump) Khasra no. 161//13 at village Lohani on Bhiwani-Loahru road (NH-70/13), Km 136.702 (RHS), Tehsil & District Bhiwani, Haryana.

Proposal no. FP/HR/Others/150474/2021.

क्रमांक:-1067 दिनांक:- 16/11/2022 तथा अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला के पत्र क्रमांक 10211/2339 दिनांक 28/10/2022 के सन्दर्भ में :- Link को

इस सम्बन्ध में सनुरिध के साथ आपको अवगत कराया जाता है कि डी.एफ.ओ भिवानी ने पत्र क्रमांक 1067 दिनांक 16/11/2022 के द्वारा जो रिपोर्ट भेजी है वह बिलकुल गलत और झूठी है। पेड़ कटवाने तथा नाला बनवाने की अनुमति हेतु पहले ही दिनांक 29/9/2021 को आवेदन किया हुआ था। तत्कालीन डी.एफ.ओ. भिवानी ने जाति प्वाती भेदभाव के आधार पर षड्यंत्र के तहत पेट्रोल पम्प का काम बंद करवाने के लिए नाजायज दबाव डाला गया। दबाव डालकर दुबारे अनुमति के लिए फाइल मांगी गयी। डीलर द्वारा दिनांक 24/12/2021 को पत्र फाइल प्रस्तुत कि गई थी जिसके बारे रेंज अधिकारी तथा तत्कालीन डी.एफ.ओ. श्री जितेंदर अहलावत को पूरी जानकारी थी क्योंकि दोबारा अनुमति उनके कहने पर ही ऑनलाइन अप्लाई की गई थी। फिर जान-बुझकर साजिश हमें परेशान करने के लिए चालान काटा गया तथा चालान में जाति सूचक शब्द लिखे गये। इस प्रकार इनके विरुद्ध अटरोसिटी बनती है। कृपा करके मामले कि पुनः जांच करवाई जाये।

आपकी अति कृपा होगी।

MR Saraha
मनोराम सरोहा 15/12/2022

महासुख फिलिंग स्टेशन

गाँव- लोहानी, भिवानी-लोहारू रोड


9501225240

नोटिस

विषय : भारतीय वन अधिनियम 1927, के अनुसार ।

सुनील पुत्र मनीराम जाति चमार निवासी रेहडोदी डा०. रेहडोदी थाना बाढडा तहसील बाढडा जिला चरखी दादरी आपके विरुद्ध वन क्षति रिपोर्ट नं० 0679/086 Dated 10.01.2022 प्राप्त हुई है। जिसके अनुसार आपके द्वारा भिवानी से लोहारू रोड पर निजि पेट्रोल पम्प के सामने वन भुमी पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके नाला का निर्माण कर लिया है। जिसका आपके द्वारा कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं करवाया गया है जो सरासर गलत है। जिसका मुआवजा 9495/-रु० बनता है। अतः आपको इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि आप निम्नहस्ताक्षरी के पास दिनांक 01.04.2022 को या इससे पहले रेंज कार्यालय भिवानी में उपस्थित होकर वन भुमि की हानि का मुआवजा अदा कर दें तथा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करवाएं अन्यथा आपके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 32(छ) 33(ग) के अन्तर्गत केस/चालान पीठासीन अधिकारी, स्पेशल प्रयावरण न्यायालय कुरुक्षेत्र में कर दिया जायेगा तथा न्यायालय का खर्च भी आप पर डाल दिया जायेगा। उपरोक्त राशी के अलावा जिसमें आपको उपरोक्त राशी के रूप में जुर्माना या एक साल की सजा या दोनों भी हो सकते है।

पता:- रेंज कार्यालय, वन राजिक अधिकारी, महम रोड़ नजदीक हीरो ऐजेन्सी भिवानी।


वन खण्ड अधिकारी,
भिवानी ।